भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2303
(सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

राष्ट्रीय परियोजनाओं में अनियमितताएं और खराब कार्य निष्पादन

2303. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मेसर्स कोलियर्स इंटरनेशनल इंडिया प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की सेवाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की फरक्का-रायगंज परियोजना में खराब कार्य निष्पादन अथवा अनियमितताओं के आरोपों के कारण समाप्त कर दिया गया था;
(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका ब्यौरा कारपोरेट प्रोफाइल, कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदनों या एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध प्रकटीकरण/अनुपालन दस्तावेज़ों में दर्शाया गया है;
(ग) वर्ष 2014 से मार्च, 2025 तक उक्त कंपनी को आवंटित सरकारी कार्यों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने प्राप्त/दर्ज की गई शिकायतों के मद्देनजर कंपनी के कार्यकरण की निगरानी, अवलोकन अथवा अनुपालन की कोई समीक्षा शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): सेवाओं में खामियों के कारण एनएच-12 के फरक्का-रायगंज खंड के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित संरचनाओं के मूल्यांकनकर्ता के रूप में मेसर्स कोलियर्स इंटरनेशनल (इंडिया) प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ एनएचएआई के पत्र संख्या 588 दिनांक 10.04.2015 के अनुसार समाप्त कर दी गईं, साथ ही, सेवा में खामियों के कारण कार्य निष्पादन की जमानत भी जब्त कर ली गई। उक्त फर्म को जनवरी, 2018 में पश्चिम बंगाल राज्य में एनएचएआई की किसी भी चालू/भविष्य की परियोजना के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के लिए तीन वर्षों की निदेशकों की रिपोर्ट की जाँच करने पर कंपनी के सदस्यों को दी गई बोर्ड रिपोर्ट में ऐसा कोई उदाहरण प्रकट/रिपोर्ट नहीं किया गया है।
(ग) और (घ): एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में, मेसर्स कोलियर्स इंटरनेशनल (इंडिया) प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 2014 से मार्च 2025 तक कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के अंतर्गत दिनांक 30.03.2024 को निरीक्षण का आदेश दिया है, जो अभी चल रहा है।

******